तारीख हुक्म	हुक्म
07/5/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वादी द्वारा प्रा० पत्र 212 RT Act [illegible] पत्रावली 29/05/2026 को पेश हो। [signature] 07/5/26
29/05/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वादी प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w. O. 39 R1&2 CPC के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण को adjudicate करने के लिए इसे निम्न 03 बिन्दुओ पर जाँचना आवश्यक है :- (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- ग्राम जवलेन की वादग्रस्त भूमि खाता सं० 19 कुल किता 12 कुल रकबा 5.3747 hect, खाता सं० 18 किता 03 रकबा 0.6702 तथा ग्राम ~~[illegible]~~ धाराखेड़ी की आराजी खाता सं० 66 किता 4 रकबा 1.1508 हैक्टे व खाता सं० 225 किता 03 रकबा 1.4543 हैक्टे भूमि की जमाबंदी संवत 2072-75 के अवलोकन से जाहिर होता कि वादग्रस्त भूमि क्रमशः अप्रार्थी क्रम 2, अप्रार्थी क्रम 1, अप्रार्थी 1, व सज्जनसिंह के खाते दर्ज रिकार्ड है। ग्राम जवलेन की जमाबंदी संवत 2056-59 के अनुसार वादग्रस्त भूमि हाल खाता सं० 18 तत्कालीन खाता सं० 4 किता 12 किशनसिंह पुत्र परबतसिंह के खाते दर्ज थी जो जर्ये फौती नामा० सं० 67 दिनांक 26/11/2001 के वारिसान छत्रसिंह, गीताबाई पि० किशनसिंह, व कंचनबाई बेवा किशनसिंह के खाते दर्ज हुई थी। अप्रार्थीगण द्वारा पेश नामा सं० 33, 56, (ग्राम जवलेन) व ग्राम धाराखेड़ी के नामा० सं० 45? के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम जवलेन का ख० नं० 173, 141 ~~[illegible]~~ एवं ग्राम धाराखेड़ी का ख० नं० 306 अप्रार्थी 1 छत्रसिंह की क्रय शुदा भूमि है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला झालावाड़

(4)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
इसी प्रकार ग्राम धारा खेड़ी का ख०नं० 318 रकबा 0-11 बीघा भी अप्रार्थी 1 की क्रयशुदा भूमि है जो जरिये नामा० सं० 653 Dt 28/11/2006 से खाते दर्ज हुई थी। इसी प्रकार ग्राम धारा खेड़ी की आराजी ख०नं० 310 व 314 भी छत्रसिंह की क्रयशुदा भूमि है जो जरिये नामा० सं० 074 से खाते दर्ज हुई (जमाबंदी संवत 2031-34) थी। अतः स्पष्ट है कि ग्राम धारा खेड़ी की वादग्रस्त भूमि हाल खाता सं० 66 ख०नं० 306, 310, 314, व 318 किता 4 कुल रकबा 1.1508 हैक्ट० अप्रार्थी 1 की खरीदशुदा भूमि है जबकि ख०नं० 311, 315 व 316 किता 03 रकबा 3-04 बीघा किशनसिंह से विरासत नामा० 492 Dt 26/11/2001 से प्राप्त भूमि है परन्तु इसके सम्बन्ध में प्र०पत्र में relief claim नहीं किया है। इसी प्रकार ग्राम खवलेन के नामा० सं० 6 दिनांक 21/6/74 के अनुसार ख०नं० 108 व 103 भी छत्रसिंह की खरीदशुदा भूमि है अतः स्पष्ट है कि ग्राम खवलेन की वादग्रस्त भूमि हाल खाता सं० 18 किता 03 अप्रार्थी 1 की खरीदशुदा भूमि है।	
खवलेन का हाल खाता सं० 19 किता 12 रकबा 5.3747 हैक्ट० में सहखातेदार कुंवर बाई बेवा किशनसिंह हिस्सा 1/3 के फौत होने पर जरिये फौती नामा० सं० 155 दिनांक 20/3/2013 उसके हिस्से दोनों वारिसान - छत्रसिंह व गीताबाई का नाम दर्ज हुआ था अर्थात भूमि छत्रसिंह व गीताबाई के हिस्सा 1/2 1/2 दर्ज हुई।	
अप्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम खवलेन के नामा० सं० 167 दिनांक 20/08/2014 की स्पष्ट	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनीशियल्स जज 3.
	है कि सहखातेदार बहन गीताबाई हिस्सा 1/2 ने भूमि हिस्से का हकत्याग दिनांक 20/6/2014 को गार्ड अप्रार्थी 1 को किया था। The Hindu Succession Act 1956 की धारा -14 (property of a female Hindu to be her absolute property) के अनुसार हिन्दू महिला गीताबाई की भूमि उसकी absolute property थी जिसका अन्तरण करने के लिए वह स्वतंत्र (free) थी। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पबलेन की वादग्रस्त भूमि खाता सं० 19 किता 12 मे छत्रसिंह का हिस्सा 1/2 भी हकत्याग से बहन से मिला, इनकी स्वअर्जित सम्पत्ति होगी। शेष हिस्से 1/2 भी विरासत मे मिला है, मे से 1/3 पिता किशनसिंह से मिला जबकि 1/6 भाग मां कचनबाई (a Hindu female u/s 14) से मिला था अतः माता कंचनबाई से प्राप्त हिस्सा 1/6 भी छत्रसिंह की पैतृक संपत्ति नही मानी जायेगी। केवल 4th male generation से undivided मे पीढी दर पीढी विरासत मे प्राप्त संपत्ति ही पैतृक सम्पत्ति होगी। यह अविवादित तथ्य है कि अप्रार्थी 1 के एक पुत्र सज्जनसिंह एवं 04 पुत्रियां- संतोषकंवर, बालकौर बाई, आनंदकौर बाई व बनास बाई है। अतः यदि वादग्रस्त भूमि खाता सं० 19 किता 12 मे हिस्से 1/3 की पैतृक भूमि मान भी ले तो सज्जन सिंह का हिन्दू विधि मे Notional share $1/6 - 1/6 \times 1/3$ बनेगा। यद्यपि अभी अप्रार्थी 1 जीवित है। यहां यह भी अविवादित तथ्य है कि सज्जनसिंह

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज 4.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
के दो पत्नियां - प्रार्थी 4 व अप्रार्थी 2 है। हिन्दू विवाह अधिनियम में किसी एक पत्नि के अवैध होना होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। दोनो पत्नियों के कुल 04 पुत्रियाँ एवं एक पुत्र - जयकिशन होना जाहिर होता है। यदि यह कथन सही है तो फिर लक्ष्मनसिंह के Notional share $1/18$ में (लक्ष्मनसिंह का फौत होना भी अविवादित तथ्य है) पांचो बच्चो को प्रत्येक का Notional share $1/18 \times 1/5 = 1/90$ - $1/90$ होगा अत: प्रार्थी 1 से 3 का Notional share कुल $3/90 = 1/30$ हो सकेगा। उपरोक्त विवेचन से जाहिर है कि अप्रार्थी 1 द्वारा खाता सं० 19 किता 12 कुल रकबा 5.3747 hect में से अपने हिस्से (Notional share including) $1/18 + 2/3$ (Notional + self acquired) = $13/18$ भाग का अन्तरण या दान करने हेतु स्वतंत्र था शेष $5/18$ भाग में से केवल लक्ष्मनसिंह के नोशनल शेयर $1/18$ में से $3/5$ यानी $1/30$ ही प्रा०पत्र u/s 212 RT Act में claim किया है। अप्रार्थी 2 के वारिसान ने कोई हक नहीं चाहा है। अप्रार्थी 1 द्वारा पूरे भाग का अप्रार्थी 2 के पक्ष में दान कर जरिये नामा० सं० 224 दिनांक 05/8/21 अप्रार्थी 2 खातेदार दर्ज हो चुकी है और उक्त दानपत्र को सक्षम सिविल कोर्ट से खारिज कराने का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है।	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

के आधार ग्राम जबलेन के हाल खाता सं० 19 किता 12 रकबा 5.9747 hect में से प्रार्थी 1 से 3 के Notional share हिस्सा 3/90 = 1/30 के हद तक ही प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी 1 से 3 के पक्ष में साबित है।

(ब) सुविधा का संतुलन :- प्रार्थीगण में प्रार्थी 4 को अप्रार्थी 1 के मृतक पुत्र सज्जन की प्रथम पत्नि एवं प्रार्थी 1 से 3 को विवाहित बच्चे होना स्वीकार है जो लम्बे समय से ग्राम जबलेन के बजाए पिहर में रहते हो। Notional share 1/30 के हद तक प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के पक्ष में बाकी शेष 29/30 भाग तक प्रार्थीगण 2 के विरूद्ध साबित है। अप्रार्थी 1 ने प्रार्थीगण के Notional share का भी अप्रार्थी 2 के पक्ष में दान कर प्रार्थीगण के पैतृक ग्राम में जन्म से निहित हक व अधिकारों का हनन कर क्षति कारित की है जिसका संरक्षण करना भी आवश्यक है, ग्राम जबलेन व ग्राम धारा खेड़ी की वादग्रस्त भूमि खाता सं० (क्रमश:) 18, 66 व 225 पुश्तैनी भूमि साबित नहीं है।

अत: ग्राम जबलेन के हाल खाता सं० 19 किता 2 में हिस्सा 1/30 के हद तक सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

(स) अपूरणीय क्षति :- प्रकरण में अप्रार्थी 1 द्वारा सम्पूर्ण खाता सं० 19 किता 12 का दान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज 6	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
कर प्रार्थिया को पैतृक भूमि में निहित कानूनी अधिकारों से वंचित कर अपूरणीय क्षति कारित की गई है। 2. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र u/s 212 RT Act आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को तावैसला मुलतवी इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम जवलेन के केवल हाल खाता सं० 19 किता 12 रकबा 5.3747 hect में से प्रार्थिया के Notional share (joint) 1/30 का भाग कोई अन्तरण नहीं करे। ना पंजीयन करे। शेष 29/30 भाग पर कोई स्थगन नहीं रहेगा। ग्राम जवलेन के अन्य खाता सं० 18 किता 3 तथा ग्राम धाराखेड़ी के खाता सं० 66 किता 4 व 225 किता 3 रकबा 1.4543 हैक्टे पर कोई स्थगन आदेश नहीं होगा। पूर्व में अंकित स्थगन नोट को हटाया जावे। केवल SRO पिड़ावा व TDR पिड़ावा के स्थगन आदेश रजिस्टर में इन्द्राज किया जावे। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मुलतवी के साथ संलग्न हो। (हस्ताक्षर) 29/5/2026 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़	